रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 609] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 23, 1989/अग्रहायण 2, 1911
No. 609] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 23, 1989/AGRAHAYNA 2, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1984

सा.का.नि. 1022(अ).—लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18वां) की धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक ऋण नियमावली, 1946 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों, जिन्हें बनाने का केन्द्र सरकार का प्रस्ताव है, निम्नलिखित मसौदा उक्त धारा की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, इनसे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदे पर 29 दिसम्बर, 1989 को अथवा उसके बाद विचार किया जाएगा।

उक्त मसौदे के बारे में किसी भी व्यक्ति से जो भी आपत्तियां अथवा सुझाव ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त होंगे, उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

नियमों का मसौदा

1. (i) इन नियमों का नाम लोक ऋण (संशोधन) नियमावली 1989 होगा।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 लोक ऋण नियमावली, 1946 में—

(1) नियम 12 में,

(i) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(3) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी वचन-पत्र (प्रामिसरी नोट) अथवा उसके किसी भाग के गुम हो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, कट-फट हो जाने अथवा खराब हो जाने संबंधी सूचना आवेदक द्वारा दो प्रमुख समाचार-पत्रों में अथवा एक प्रमुख समाचार-पत्र और भारत के राजपत्र में भी अधिसूचित कराई जाएगी। लोक ऋण कार्यालय समय-समय पर यह निर्धारित करेंगे कि उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किन-किन समाचार पत्रों को उस क्षेत्र के लिए "प्रमुख" समाचार-पत्र समझा जाएगा।

ऐसी अधिसूचना निम्नलिखित रूप में होगी अथवा यथा परिस्थितिवश इसी रूप के अनुरूप होगी।

""गुम हो गया", "चोरी हो गया", "नष्ट हो गया", "कट-फट गया", अथवा "खराब हो गया", जैसा भी मामला हो)।

का रुपए का

(संबंधित सरकार का नाम)

प्रतिशत ऋण का सरकारी वचन-पत्र संख्या जो कि मूल रूप से के नाम है और जो बाद में मालिक के नाम पृष्ठांकित किया गया था, जिसके द्वारा उसे किसी भी अन्य व्यक्ति को कभी भी पृष्ठांकित नहीं किया गया, गुम हो जाने (चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, कट-फट जाने अथवा खराब हो जाने) के कारण एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त पत्र और उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान लोक ऋण कार्यालय में रोक दिया गया है और यह कि मालिक के पक्ष में एक दूसरा (डुप्लीकेट) पत्र जारी करने के लिए आवेदन-पत्र दिया जाने वाला है। ऊपर उल्लिखित प्रतिभूति को खरीदने अथवा अन्यथा इसके सम्बंध में लेन-देन करने के प्रति जनता को सावधान किया जाता है।

अधिसूचित करने वाले व्यक्ति का नाम निवास स्थान ";

(ii) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(4) उप-नियम (3) में उल्लिखित अधिसूचना के प्रकाशन के बाद यदि बैंक पत्र के गुम हो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, कट-फट जाने अथवा खराब हो जाने तथा आवेदक के दावे के औचित्य के बारे में सन्तुष्ट हो जाता है तो वह इसके पश्चात् नियम 18 में यथा उल्लिखित सूची में पत्र के विवरण शामिल कराएगा और लोक ऋण कार्यालय को आदेश देगा कि वह इस प्रकार गुम हुए, चोरी हुए, नष्ट हुए, कट-फट गए और खराब हुए पत्र के स्थान पर उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख के तीन महीने के बाद आवेदक को दूसरा (डुप्लीकेट) पत्र जारी कर दें।

परन्तु यदि दूसरा (डुप्लीकेट) पत्र जारी होने से पहले किसी भी समय मूल पत्र मिल जाता है अथवा अन्य दूसरे किन्हीं कारणों से लोक ऋण कार्यालय को ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश को निरस्त कर दिया जाना चाहिए तो मामला आगे विचार करने के लिए बैंक के पास भेजा जाएगा और इस बीच आदेश पर सभी प्रकार की कार्रवाई स्थगित रहेगी। इस उप-नियम के अन्तर्गत जारी किया गया आदेश, उसमें उल्लिखित तीन महीने की अवधि के पश्चात् अन्तिम माना जाएगा जब तक कि उसे इस बीच रद्द न कर दिया गया हो अथवा अन्यथा उसमें कोई संशोधन न कर दिया गया हो; और

(iii) उप-नियम (6) का लोप कर दिया जाएगा।

(2) नियम 18 के उप-नियम (1) में "जनवरी, अप्रैल, जुलाई, और अक्तूबर महीनों में" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक कलैन्डर महीने में" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[संख्या एफ. 4(3) पी.डी./89-]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd November, 1989

G.S.R. 1022(E).—The following draft of certain rules further to amend the Public Debt Rules, 1946 which Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Public Debt Act, 1944 (18th of 1944), is hereby published as required by Sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on or after 29th December, 1989.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft, before the date specified above, shall be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (i) These rules may be called the Public Debt (Amendment) Rules, 1989.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In Public Debt Rules, 1946—

(1) In Rule 12,

(i) for sub-rule (3) the following shall be substituted, namely:—

"(3) The loss, theft, destruction, mutilation or defacement of a promissory note of the Central or State Government or portion of such promissory note, shall be further notified by the applicant in two leading newspapers or in one leading newspaper and in Gazette of India. The Public Debt Offices shall decide from time to time as to which of the newspapers shall be deemed to be 'leading' newspapers for the area, under their jurisdiction.

Such notification shall be in the following form or as nearly in such form as circumstances permit:—

"Lost" ("stolen", "destroyed", "mutilated" or "defaced" as the case may be).

The Government promissory note No. ..... of the (name of the Government concerned) per cent loan of ..... for Rs. ..... originally standing in the name of .....and last endorsed to the proprietor, by whom it was never endorsed to any other person having been lost (stolen, destroyed multilated or defaced) notice is here by given that payment of the above note and the interest thereupon has been stopped at the Public Debt Office, and that application is about to be made for the issue of a duplicate in favour of the proprietor. The public are cautioned against purchasing or otherwise dealing with the above mentioned security. Name of person notifying.

Residence .....";

(ii) for sub-Rule (4) the following shall be substituted namely:—

"(4) After the publication of the notification referred to in sub-rule (3), the Bank shall, if it is satisfied of the loss, theft, destruction, mutilation or defacement of the note and of the justice of the claim of the applicant, cause the particulars of the note to be included in a list as is referred to in Rule 18 hereinunder and shall order the Public Debt Office—to issue to the applicant a duplicate note in place of the note so lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced three months after the date of publication of the said list.

Provided that if at any time before the issue of duplicate note the original note is discovered or it appears to the Public Debt Office for other reasons that the order should be rescinded, the matter shall be referred to the Bank for further consideration and in the meantime all action on the order shall be suspended. An order passed under this sub-rule shall on expiry of the three months referred to therein, become final unless it is in the meantime rescinded or otherwise modified"; and

(iii) Sub Rule (6) shall be omitted.

(2) In Sub-Rule (1) of Rule 18, for the words "in the months of January, April, July and October", the words "in every calender month" shall be substituted.

[No. F. 4(3)-PD/89]

सा का नि 1023(अ) - लोक ऋण अधिनियम 1944 (1944 का 18वा) की धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक ऋण (प्रतिभूति बांड) नियमावली, 1954 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों जिन्हें बनाने का केन्द्र सरकार का प्रस्ताव है का निम्नलिखित मसौदा उक्त धारा की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, इनसे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदे पर 29 दिसम्बर, 1989 को अथवा उसके बाद विचार किया जाएगा।

उक्त मसौदे के बारे में किसी भी व्यक्ति से जो भी आपत्तियां अथवा सुझाव ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त होंगे, उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

नियमों का मसौदा

1 (1) इन नियमों का नाम लोक ऋण (प्रतिभूति बांड) संशोधन नियमावली, 1989 होगा।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(iii) ये स्टाक प्रमाण पत्र के रूप में जारी किए गए "बांडों" पर लागू नहीं होंगे।

2 लोक ऋण (प्रतिभूति बांड) नियमावली 1954 में--

(1) नियम 6 में,

(i) उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् --

"(5) बांड अथवा बांड के किसी भाग के गुम हो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, कट-फट जाने अथवा खराब हो जाने सम्बन्धित सूचना आवेदक द्वारा दो प्रमुख समाचार-पत्र पत्रों में अथवा एक प्रमुख समाचार पत्र और भारत के राजपत्र में भी इस बात पर ध्यान दिए बिना कि बांड गुम हो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, कट-फट जाने अथवा खराब हो जाने की घटना उस बांड को जारी करने वाले राज्य से दूर अथवा राज्य के अन्दर किस स्थान पर घटी है अधिसूचित कराई जाएगी। लोक ऋण कार्यालय समय-समय पर यह निर्धारित करेगा कि उक्त सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित समाचार पत्रों का उस क्षेत्र के लिए प्रमुख समाचार-पत्र समझा जाएगा और अधिसूचना निर्धारित रूप में होगी अथवा यथा परिस्थितिवश इस रूप में सम्भव हो।

"गुम हो गया", "चोरी हो गया", "नष्ट हो गया", "कट-फट गया" अथवा "खराब हो गया" जैसा भी मामला हो)

"..... का ..... स्थान का बांड संख्या ..... जो कि मूल रूप से ..... के नाम में और ..... को ..... पृष्ठांकित किया गया था जिसके द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति को कभी भी पृष्ठांकित नहीं किया गया था (गुम हो जाने) (चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, कट-फट जाने अथवा खराब हो जाने) के कारण एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त बांड और उसकी किस्तों का भुगतान लोक ऋण कार्यालय में रोक दिया गया है और यह कि मालिक के पक्ष में एक दूसरा (डुप्लीकेट) बांड जारी करने के लिए आवेदन पत्र दिया जाने वाला है। उक्त उल्लिखित बांड का खरीदना अथवा अन्यथा उसका सम्बन्ध में सौदा करने के प्रति जनता को सावधान किया जाता है।

अधिसूचित करने वाले व्यक्ति का नाम ..... निवास स्थान

(ii) उप-नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

'(6) उप नियम (5) में उल्लिखित अधिसूचना के प्रकाशन के बाद यदि बैंक बांड के गुम हो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, कट-फट जाने अथवा खराब हो जाने तथा आवेदक के दावे के औचित्य के बारे में संतुष्ट हो जाता है तो वह इसके बाद नियम 7 में यथा उल्लिखित सूची में बांड के विवरण शामिल कराएगा और लोक ऋण कार्यालय को आदेश देगा कि वह इस प्रकार गुम हुए, चोरी हुए, नष्ट हुए, कट-फट गए और खराब हुए बांड के स्थान पर उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख के तीन महीने बाद क्षतिपूर्ति बांड भरवाकर जिसका यहां उल्लेख किया गया है, आवेदक को दूसरा (डुप्लीकेट) बांड जारी कर दे। बशर्ते कि

(क) यदि बांड की अन्तिम किस्त की अदायगी की तारीख उस तारीख से पहले पड़ती हो जिसमें तीन महीने की उक्त अवधि समाप्त होती है, अथवा उस तारीख से पहले प्रतिदान के लिए बांड अधिसूचित हो जाता है तो दूसरा (डुप्लीकेट) बांड जारी किए बिना ही बैंक तीन महीने की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद सभी बकाया किस्तों का भुगतान कर देगा, और

(ख) यदि दूसरा (डुप्लीकेट) बांड जारी होने से पहले किसी भी समय मूल बांड मिल जाता है अथवा किन्हीं अन्य कारणों से लोक ऋण कार्यालय को ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश को निरस्त कर दिया जाना चाहिए तो मामला आगे विचार करने के लिए बैंक के पास भेजा जाएगा और इस बीच आदेश पर सभी प्रकार की कार्रवाई स्थगित रहेगी।'

(2) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

'7 सूची का प्रकाशन

(i) नियम 6 में उल्लिखित सूची बांड जारी करने वाली सरकार के राजपत्र में प्रत्येक कलेन्डर माह में अथवा उसके बाद सुविधानुसार यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी,

(ii) सूची में, जहां तक सम्भव होगा, शामिल किए जाने वाले प्रत्येक बांड के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण शामिल किए जाएंगे अर्थात् बांड का विवरण, बांड की संख्या, उसका मूल्य, वह व्यक्ति जिसे यह बांड जारी किया गया था, वह तारीख जिसमें किस्तें देय हैं, दूसरे (डुप्लीकेट) बांड जारी के लिए आवेदक का नाम, किस्तों की अदायगी करने के लिए अथवा दूसरा (डुप्लीकेट) बांड जारी करने के लिए बैंक द्वारा दिए गए आदेश की संख्या और उसकी तारीख।

[सं. एफ 4(3)-पी डी/89)]

श्रीमती जानकी कठपालिया, संयुक्त सचिव (बजट)

G.S.R. 1023(E).—The following draft of certain rules further to amend the Public Debt (Compensation Bonds) Rules, 1954 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after 29th December, 1989.

Any objections or suggestions received from any person with respect to the draft, before the expiry of the period specified above, shall be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (i) These Rules may be called the Public Debt (Compensation Bonds) Amendment Rules, 1989.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

(iii) They shall not apply to 'Bonds' issued in the form of the stock certificate.

2. In Public Debt (Compensation Bonds) Rules, 1954,—

(1) In Rule 6,—

(i) for Sub-Rule (5), the following shall be substituted namely :—

"(5) The loss, theft, destruction, mutilation or defacement of a bond or portion of the bond shall be further notified by the applicant in two leading newspapers or in one leading newspaper and in Gazette of India, irrespective of whether such loss, theft, destruction, mutilation or defacement has occurred at a place outside the state issuing the bond or within that state. The Public Debt Offices shall decide from time to time as to which of the newspaper shall be deemed to be 'leading' newspapers for the area, under their jurisdiction. Such notification shall be in the following form or as nearly in such form as circumstances permit.

"Lost" ("Stolen", "destroyed", "mutilated" or "defaced" as the case may be)
For Rs. .....
"The Bond No..... of the Government For Rs. ..... originally standing in the name of ....and last endorsed to the proprietor, by whom it was never endorsed to any other person, having been lost (stolen, destroyed, mutilated, or defaced) notice is hereby given that payment of the above bond and the instalments there upon have been stopped at the Public Debt Office, and that application is about to be made for the issue of a duplicate in favour of the proprietor. The public are cautioned against purchasing or otherwise dealing with the above mentioned bond.

Name of person notifying :—

Residence .... ";

(ii) for Sub-Rule-(6), the-ofllowing shall be substituted namely :—

"(6) After the publication of the notification referred to in Sub-Rule (5), the Bank shall, if it is satisfied of the loss, theft, destruction, mutilation or defacement, of the bond and of justice of the claim of the applicant, cause the particulars of the bond to be included in a list such as is referred to in Rule 7 hereunder and shall order, the Public Debt Office to issue to the applicant on execution of an indemnity bond such as is hereinafter mentioned a duplicate bond, for the bond so lost, stolen, destroyed, multilated or defaced, 3 months after the date of the publication of the said list .—

Provided that—

(a) if the date on which the final instalment of the bond is due for payment falls earlier than the date on which the said period of the three months expires, or if the bond is notified for redemption before that date, the Bank shall pay all the outstanding instalments after the expiry of the said period of three months without issuing a duplicate bond; and

(b) if at any time before the issue of a duplicate bond, the original bond is discovered or it appears to the Public Debt Office for other reasons that the order should be rescinded, the matter shall be referred to the Bank for further consideration and in the meantime all action on the order shall be suspended."

(2) for Rule 7 the following shall be substituted namely:—

"7. Publication of List :

(i) The list referred to in Rule 6 shall be published every calendar month in the Official Gazette of the Government issueing the bond or as soon afterwards as may be convenient ;

(ii) The list shall contain, as far as possible, the following practculars regarding each bond included therein, namely, the description of the bond, the number of bond, its value, the person to whom it was issued, the date from which instalments are due, the name of the applicant for a duplicate, the number and the date of the order passed by the Bank for payment of instalments or issue of a duplicate."

[No F. 4(3)-PD/89]
SMT. JANAKI KATHPALIA, Jt. Secy. (Budget)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064